

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सत्ताईस'

[ 5/12/2016 ]

प्रश्न सं. [ क. 955 ]

212

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

कमाक एफ-43/12/2016/19/यो-2759  
प्रति,

भोपाल दिनांक 17/05/2016

प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की 61वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 25.04.2016 को संपन्न अतिरिक्त मुख्य सचिव, मप्र शासन वित्त विभाग की अध्यक्षता में वित्तीय व्यय समिति की 61वीं बैठक के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यो की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अन्तर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मार्ग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	लागत (रु० लाख में)
1	मुरैना	42/5054	बड़ागांव सिंहोनिया मार्ग	28.00	2490.49
2	गुना	24/5054	शेष कार्य अनारद से निहालदेवी मार्ग	48.00	3215.28
3	दतिया	24/5054	भगुआपुरा मरसेनी एवं चरोखरा मरसेनी से रतनगढ़ माता मंदिर मार्ग	15.50	2871.20
4	नरसिंहपुर	24/5054	गोटेगांव बायपास मार्ग का निर्माण हेतु भू-अर्जग की स्वीकृति	0.00	1161.56
5	इंदौर	24/5054	पुराना रा. रा. मार्ग ए. बी. रोड़ - 3 (राजीव गांधी प्रतिमा से राउ तक) 6 लेन माग्र का निर्माण	8.20	2135.02
6	उज्जैन	71	खेमासा पारदिखेड़ा कन्डारिया गिरोता मार्ग	9.40	1202.83
7	उज्जैन	24/5054	उज्जैन देवास मार्ग (शहरी भाग)	4.25	1283.24
8	शिवपुरी	24/5054	कुवरपुर से बुढ़दा मार्ग	32.40	1150.70
9	रतलाम	24/5054	रतलाम जिले में आलोट उन्हेल मार्ग के कि. मी. 5/2-8 में नागेश्वर पार्श्वनाथ के पास क्षिप्रा नदी पर पहुँच मार्ग सहित उच्चरतरीय पुल का निर्माण	-	1810.50

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में मॉग संख्या 24/5054 एवं 42/5054 एवं 71 योजना/सिंहस्थ मद के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्यो हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किये जाते है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावें तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

सा/स्था/कार्य/लेख/न्याय/वजट/  
क्रेडिट/व्यय वि. /दिनांक / 2016

3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाइट पर डाला जाय।

सहपत्र:-09 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)  
सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग  
भोपाल दिनांक 17/05/2016

पृ0 कमाक एफ-43/12/2016/19/यो-2760  
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (उत्तर परि0) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
2. मुख्य अभियंता (मध्य परि0) लोक निर्माण विभाग जबलपुर।
3. मुख्य अभियंता (पश्चिम परि0) लोक निर्माण विभाग इन्दौर।
4. मुख्य अभियंता (उज्जैन परि0) लोक निर्माण विभाग उज्जैन।
5. मुख्य अभियंता (सेतु परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
6. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग भोपाल।

की ओर सूचनार्थ (केवल कमांक 6 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:- शून्य

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

कार्यालय मुख्य अभियंता  
लोक निर्माण विभाग, पश्चिम परिक्षेत्र, इंदौर

पृष्ठांकन कमांक 223 / कार्य/मार्ग/2016-17 9311 इंदौर, दिनांक 4/6

प्रतिलिपि -

1. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मण्डल इंदौर/खण्डवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अधीक्षण यंत्री,

लो.नि.वि. पश्चिम परिक्षेत्र, इंदौर